

## **सूचना का अधिकार अधिनियम-2005**

**किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।**

**(मैनुअल-07)**

**सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड**

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के अन्तर्गत प्रेस मान्यता समिति तथा विज्ञापन मान्यता समिति का गठन मान्यता प्राप्त पत्रकारों में से किया जाता है। जिसके अन्तर्गत गठित समिति द्वारा पत्रकारों को नियमानुसार मान्यता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाचार पत्रों को नियमानुसार गठित समिति द्वारा विज्ञापन मान्यता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में ये समितियां गठित नहीं हैं।

उक्त कार्य विभागीय समिति द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।